इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012--फाल्गुन 19, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. एफ. ए 6-56-2011-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

(1) परिशिष्ट-एक में, शीर्षक 'परीक्षा की योजना' के अधीन खण्ड 2, 3, 4 और 5 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"2. प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) के दो प्रश्न-पत्र होंगे. प्रत्येक प्रश्न-पत्र नीचे दी गई योजना के अनुसार तैयार किया जाएगा :—

प्रथम प्रश्न-पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न-पत्र	सामान्य अभिरूचि परीक्षण	2 घंटे	200 अंक

3. यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण (स्क्रीनिंग टेस्ट) के रूप में ली जाती है. इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्हित घोषित किया जाएगा. अन्तिम चयन सूची, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी.

4. (1) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) के होंगे. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ. ब. स. और द. में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा. अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही उत्तर अ. ब. स. या द. में से केवल एक पर चिन्ह लगाए.

(2) प्रत्येक प्रश्न-पत्र में दो-दो अंक के 100 प्रश्न होंगे. प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए कुल अंक 200 होंगे और प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए समयावधि 2 घंटे की होगी.

(3) प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरूचि परीक्षण के पाठ्यक्रम के ब्यौरे परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं.

(4) प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा.

5. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेवाओं तथा सेवाओं के विभिन्न वर्गों तथा विज्ञापन में उपदर्शित पदों में भरे जाने वाली रिक्तियों के कुल संख्या के 15 गुना होगी. केवल वे ही अभ्यर्थी, जिन्हें आयोग ने एक विशिष्ट विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे. मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे.".

(2) खण्ड 6 के पश्चात्, टीप के स्थान पर, निम्नलिखित टीप स्थापित की जाए, अर्थात् :—

टीप.—

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अर्हकारी अंक कम से कम 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक नि:शक्त प्रवर्गों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 23 प्रतिशत होंगे.".

(3) परिशिष्ट-दो में, शीर्षक "अनिवार्य विषय का पाठ्यक्रम" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

पाठ्य विवरण

प्रथम प्रश्न-पत्र: सामान्य अध्ययन

1. **सामान्य विज्ञान तथा पर्यावरण.**—सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण (पर्यावरण पारिस्थिति की, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन) दैनंदिन का अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित विषय सम्मिलित करते हुए और जो किसी भी उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो, जिन्होंने किसी विशिष्ट वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, सम्मिलित होंगे.

2. **राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं.**—प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का वर्तमान घटनाओं में परीक्षण किया जाएगा.

3. **भारत और स्वतंत्र भारत का इतिहास.**—इतिहास में, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास पर भी प्रश्न होंगे.

4. (1) **भारत का भूगोल.**--भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे. इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृति संसाधनों पर भी प्रश्नों का समावेश होगा. भारत की जनसांख्यिकी एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न भी होंगे.

(2) विश्व की सामान्य भौगोलिक अभिज्ञता (एवेयरनेस) संबंधी जानकारी.

5. **भारतीय राजनीति एवं अर्थ व्यवस्था.**—देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, धारित (सस्टेनेबल) आर्थिक विकास, निर्वाचन, राजनीतिक दल, योजनाएं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार एवं आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाएं.

6. **खेलकूद.**—मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व के महत्वपूर्ण खेल एवं खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, व्यक्तित्व और ख्याति प्राप्त खेल संस्थाएं.

7. **मध्यप्रदेश का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति.**—मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पतियां, तथा जीव-जन्तु, खनिज परिवहन से संबंधित प्रश्न होंगे. मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण राजवंश, महत्वपूर्ण राजवंशों के, योगदान से संबंधित प्रश्न भी होंगे. मध्यप्रदेश की जनजातियां, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर भी प्रश्न होंगे.

8. **मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था.**—मध्यप्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक दल और निर्वाचन, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था और धारित आर्थिक विकास इसमें मध्यप्रदेश के उद्योग, योजनाएं आर्थिक कार्यक्रम, कारबार, जनसांख्यिकी और जनगणना पर भी प्रश्न सम्मिलित होंगे.

9. **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी.**—अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावली जैसे कि वेबसाइट, आनलाईन, सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, हेकिंग, क्रेकिंग, वायरस एवं सायबर अपराध से संबंधित प्रश्न.

10. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22).

द्वितीय प्रश्न-पत्र: सामान्य अभिरूचि परीक्षण

1. बोधगम्यता
2. संचार कौशल सहित अन्तर्वैयक्तिक कौशल
3. तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक योग्यता
4. निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान करना
5. सामान्य मानसिक योग्यता
6. आधारभूत संख्यांकन (संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार का महत्ताक्रम आदि दसवीं कक्षा स्तर) आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट्स, ग्राफ्स, सारणियां आंकड़ों की पर्याप्तता आदि दसवीं कक्षा स्तर).
7. हिन्दी भाषा बोधगम्यता कौशल (दसवीं कक्षा स्तर).

टीप.—कक्षा दसवीं के स्तर के हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्न-पत्र में केवल हिन्दी भाषा में उद्धरणों के माध्यम से, उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना परीक्षण किया जाएगा.

4. परिशिष्ट तीन में, खण्ड 10 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. एफ. ए 6-56-2011-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 6-56-2011-एक(1), दिनांक 9 मार्च 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal the 9th March 2012

No. F-A-6-56-2011-One (1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Services Examination Rules, 2008 namely :—

AMENDMENTS

(1) In Appendix-I, under the heading 'PLAN OF EXAMINATION', for clause 2, 3, 4 and 5, the following clauses shall be substituted, namely :—

"2. The preliminary examination will consist of two papers of objective type (multiple choice questions). Each paper will be set in accordance with the scheme given below :—

Paper I	General Studies	2 hrs.	200 Marks
Paper II	General Aptitude Test	2 hrs.	200 Marks

3. This Examination is meant to serve as a screening test only. On the basis of marks obtained in this examination candidates shall be declared qualified for Main Examination. Final selection list will be prepared only on the basis of marks obtained in Main Examination and Interview.

4. (1) Both the question papers will be of objective type (multiple choice questions). Each question will have four probable answers grouped under A, B, C. and D. of which only one will be the correct answer. The candidate is required to record in the answer book, only A, B, C or D as may be adjudged by him to be the correct answer.

(2) Each question papers will consist of 100 questions of 2 marks each. The total marks for each paper will be 200 and time duration for each paper will be of 2 hours.

(3) Details of the syllabi for General Studies and General Aptitude Test of Preliminary Examination as specified in Appendix-II.

(4) Each question papaer will be in Hindi and English.

5. The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be about Fifteen times the total number of vacancies to be filled in various categories of services and posts as indicated in the advertisement. Only those candidates who are declared by the Commission to have qualified in the preliminary examination under a particular advertisement will be eligible for admission to the Main Examination. To be eligible for main examination, candidates must secure a minimum. of 40% marks in each question paper of preliminary examination. For Scheduled Caste / Scheduled Tribe/Other Backward Class and Handicapped Candidates the minimum qualifying marks will be 30%."

(2) After clause 6, for the note, the following note shall be substituted, namely:-

"Note.—

Qualifying marks for interview for unreserved candidates will be atleast 33% marks in each paper and candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe / Other Backward Class and Physically Handicapped categories, these minimum qualifying marks would be 23%." .

(3) In Appendix II for the heading "SYLLABI FOR COMPULSORY SUBJECT" and entries thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SYLLABI

FIRST PAPER : GENERAL STUDIES

1. **General Science and Environment.**—Questions on general science and Environment (Environmental Ecology, Biodiversity and Climate Change) will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

2. **Current Events of National & International Importance.**—In current events knowledge of significant National and International level will be tested.

3. **History of india and Independent India**—In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Dev lopment of Independent India.

4. (1) **Geography of India.**—There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.

(2) General Geographical awareness of world.

5. **Indian Polity and Economy** .—Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, sustainable economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6. **Sports.**—Important games and sports tournaments, Awards, personalities and Renowned Sports Institutions of Madhya Pradesh, India, Asia and World.

7. **Geography, History and Culture of Madhya Pradesh.**—There will be questions related to the development of Mountains, Rivers, Climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in the Geography of Madhya Pradesh. It will also have questions relating to important dynasties of Madhya Pradesh, Contribution of important dynasties in the History & Culture of Madhya Pradesh, There will be questions on Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of Madhya Pradesh.

8. **Polity and Economy of Madhya Pradesh.**—Political system, Political parties and elections, Panchayati Raj, Social system and sustainable economic development of Madhya Pradesh. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of Madhya Pradesh.

9. **Infromation and Communication Technology.**—Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail,' video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

10. Scheduled Castes and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955).

SECOND PAPER: GENERAL APTITUDE TEST

1. Comprehension
2. Interpersonal skill including communication skill

3. Logical reasoning and analytical ability

4. Decision making and problem solving.

5. General mental ability

6. Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude ect. Class X level) Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.-Class X level)

7. Hindi Language Comprehension Skill (Class X level)

Note.—Question relating to Hindi Language Comprehension skill of Class X level will be tested through passages from Hindi language only without providing English Translation thereof in the question paper.

(4) In appendix III, after clause 10, the following clause shall be added, namely:—

"11. Scheduled Caste & Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.